



APPLICATION FORM FOR TRANSFER OF FUNDS THROUGH NEFT / RTGS

To,
The Branch Manager

Date : 16/9/23

..... Pipli Branch

Please remit a sum of Rs. 2,38,249 (Rupees दो लाख असीस हजार दो सौ ३-१५१६ Only) through **NEFT / RTGS*** as per the details given below and debit the amount including your charges to my/our CD / CC / OD / CC account No. maintained with.....branch.


DETAILS OF APPLICANT		DETAILS OF BENEFICIARY	
1. Name	PARDEEP	1. Name	HARYANA CAMPA
2. Account No.	3411048887	2. Account No.	
3. Address	v.p.o-PIPLI	3. Account Type	1506970147639328
4. Tel/Mobile No.	7404170550	4. Name of Bank	UNION BANK
5. Email Id		5. Name of Branch	Bengaluru - 560027
6. PAN	CHRPP1316A	6. IFSC Code	UBIN0996335
For Bank's Use only			
Entered by :	(Officer's SS No.)	 (Signature of the Applicant) Applicant's Signature verified by: (Officer's SS No.)	
Checked by:	(Officer's SS No.)		
Transaction Reference No. :			

* Delete whichever is not applicable.

- I / We have checked the funds transfer instructions / particulars given in the application and I / We shall be liable to compensate the Bank for any loss arising on account of any error in payment order / amendment / cancellation thereto.
- I / We understand that the messages given after cut-off time will be sent only on the next batch / working day for NEFT.
- The transfer is effected for legitimate personal / business needs.
- I / We shall ensure availability of funds properly applicable to the payment order before execution of the payment order by the bank and understand that if the bank executes the transfer order without properly applicable funds being available in my account, I / We shall be bound to pay to the bank the amount debited to my account together with charges including interest payable to the bank provided the transfer was effected as per my order.
- I / We understand that in case the payee branch does not have NEFT / RTGS facility, the funds will be credited back to my / our account as and when it is returned by the beneficiary bank.
- I / We also agree to abide by the guidelines/ regulations etc. issued by RBI for RTGS / NEFT and also the terms and conditions of Central Bank of India, issued from time to time on this score.

CBINR 52023091610004234

Date : 16/9/23


(Signature of the Applicant)

Id to Email: k...
ubini0903710@unionbankofindia.com



बसाना रोड, पिपली, जिला सोनपट, हरियाणा
 BASANA ROAD, PIPLI, DIST. SONEPAT, HARYANA-131402
 IFSC: CBIIN0284308

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

16092023
 D D M M Y Y Y Y

Pay Your Self

या धारक को or Bearer

रुपये Rupees

दो लाख अठ्ठाईस हजार दो सौ त्रिंशत्तयस अंश

₹ 2,38,249/-

अकाउंट नं. / A/C No. 3411048887

PIPLI

Pardeep
[Signature]

Pardeep
 PARDEEP S/O SUMER SINGH
 कृपया धारक के नाम पर हस्ताक्षर करें / Please sign above

011778 150016164: 000050* 31

2. Account No.	3411048887	3. Account Type	1506970147639328
3. Address	V.P.O-PIPLI	4. Name of Bank	UNION BANK
4. Tel/Mobile No.	7404170550	5. Name of Branch	Bengaluru-560027
5. Email Id		6. IFSC Code	UBIN0996335
6. PAN	CHRPPI316A		
For Bank's Use only			
Entered by :	<i>[Signature]</i> (Officer's SS No.)	<i>Pardeep</i> (Signature of the Applicant)	
Checked by:	<i>[Signature]</i> (Officer's SS No.)		
Transaction Reference No. :		Applicant's Signature verified by: (Officer's SS No.)	

* Delete whichever is not applicable.

- I / We have checked the funds transfer instructions / particulars given in the application and I / We shall be liable to compensate the Bank for any loss arising on account of any error in payment order / amendment / cancellation thereto.
- I / We understand that the messages given after cut-off time will be sent only on the next batch / working day for NEFT.
- The transfer is effected for legitimate personal / business needs.
- I / We shall ensure availability of funds properly applicable to the payment order before execution of the payment order by the bank and understand that if the bank executes the transfer order without properly applicable funds being available in my account, I / We shall be bound to pay to the bank the amount debited to my account together with charges including interest payable to the bank provided the transfer was effected as per my order.
- I / We understand that in case the payee branch does not have NEFT / RTGS facility, the funds will be credited back to my / our account as and when it is returned by the beneficiary bank.
- I / We also agree to abide by the guidelines/ regulations etc. issued by RBI for RTGS / NEFT and also the terms and conditions of Central Bank of India, issued from time to time on this score.

CBINR 52023091610004234

Date: 16/9/23

Pardeep
 (Signature of the Applicant)

**COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER
TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF
FOREST RIGHTS) ACT, 2006.**

Endst. No. 3728 /MB Dated 21.04.2022


Subject : Diversion of 0.0133 ha. of Forest land for access to the BPCL MS/HSD Filling station on Kharkhoda-Delhi Road, (SH-18) Near km Stone No. 36 (RHS), at Village Pipli, Tehsil Kharkhoda, under Distt. and Division Sonapat.

File No. : FP/HR/Approach/147639/2021

Date of Proposal : 24-09-2021

A proposal has been received from the office of Divisional Forest Officer, Sonapat vide his office letter bearing No. ----- dated ----- where in it has been requested that necessary certification may be given for Diversion of 0.0133 ha. of Forest land for access to the BPCL MS/HSD Filling station on Kharkhoda-Delhi Road, (SH-18) Near km Stone No. 36 (RHS), at Village Pipli, Tehsil Kharkhoda, under Distt. and Division Sonapat under Distt. and Division Sonapat falls within jurisdiction of Pipli village in Kharkhoda tehsil.

In this regard, based upon report of District Forest Officer, Sonapat it is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villagers having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census -2001 and the Census-2011.


District Collector,
Sonapat.

To,
The Divisional Forest Officer,
Sonapat Forest Division, Sonapat



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional Office,**
Chandigarh



F.No.- 9-HRB107/2022-CHA

दिनांक: July, 2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
 हरियाणा सरकार,
 हरियाणा सिविल सचिवालय,
 चण्डीगढ़।

(fcforest@hry.nic.in)

विषय: **Diversion of 0.0133 ha of forest land for access to Retail Outlet of BPCL along Kharkhoda-Delhi Road (SH-18) near Km. stone No. 36 at village Pipli under Forest Division and District Sonipat, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021)**

संदर्भ: State Government's Compliance Letter No. क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10226/825 dated 23.06.2023 received on 27.06.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0133** हेक्टेयर वनभूमि के उपयोग के लिए **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- i. प्रयोक्ता एजेंसी से **CA** स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- ii. **WP (C) No. 202/1995, IA No. 566** में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि **0.0133** हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- iii. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।
- iv. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में अपलोड की जाएगी।
- v. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीएलागत, एनपीवी, आदि) वेबपोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I Clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- vi. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के द्वारा किया जाएगा।

- vii.** वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे |
- viii.** नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे |
- (B)** वे शर्तें, जिनका राज्य वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-
- i.** वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
 - ii.** प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष/पौधे नहीं काटे जायेंगे और वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा |
 - iii.** राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वनभूमि Compartment No. H43W13, **Khanda Drain, Rai Range** में **100** पौधे लगाकर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |
 - iv.** वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे |
 - v.** नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।
 - vi.** राज्य सरकार वनभूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में प्रतिपूर्क वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी |
 - vii.** वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा |
 - viii.** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - ix.** इस प्रस्ताव को **15** वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
 - x.** पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से **1.5** मीटर जगह छोड़कर **1.0** से **1.5** मीटर के अन्तराल पर **Light Crown** पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।
 - xi.** प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंहुच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा |
 - xii.** साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
 - xiii.** स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
 - xiv.** केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
 - xv.** कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

- xvi.** अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |
- xvii.** यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|
- xviii.** इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
- xix.** यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा| केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है।

भवदीय
हस्ता/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज, नई दिल्ली। (ramesh.pandey@nic.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Sonipat, Haryana. (dfo.spt-hry@nic.in)
4. BHARAT PETROLEUM CO. LTD., NEAR DOUBLE PHATAK HISAR, Haryana-125001. (sawasthikumar@gmail.com)

Ref: HRT/NRO/PIPLI/FOREST NOC

Date: 09.10.2023

The Divisional Forest Officer,
Forest Division & District Sonipat,
Haryana

Subject: Diversion of 0.0133 ha of forest land for access to Retail Outlet of BPCL along Kharkhoda-Delhi Road (SH-18) near Km. stone no. 36 at Village Pipli under Forest Division and District Sonipat, Haryana (Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021)

Reference: Letter from IRO, MoEF&CC, Chandigarh dated 27.07.2023 (F. No.:-9-HRB107/2022-CHA)

Dear Sir,

This is with reference to the letter dated 27.07.2023 from IRO, MoEF&CC in the subject Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021.

We hereby confirm that the required Forest NOC Fees of Rs. 2,38,249/- has been submitted online vide UTR No. CBINR52023091610004234 dated 16.09.2023 through portal- www.parivesh.nic.in in CAMPA Fund (Receipt enclosed)

It is also to confirm that Mutation details have been successfully forwarded to Nodal Officer for verification on www.parivesh.nic.in (Screenshot enclosed)

View above, Grateful if the subject Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021 is kindly processed and NOC is granted at the earliest please.

Thank You

Faithfully yours,
For Bharat Petroleum Corporation Limited


Sunil Kumar Brar

Territory Manager (Retail), Hisar



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

APPLICATION FORM FOR TRANSFER OF FUNDS THROUGH NEFT / RTGS

To,
The Branch Manager
..... P.I. PLI Branch

Date : 16/9/23

Please remit a sum of Rs. 2,38,249 (Rupees दो लाख असीस हजार दो सौ 3-414 only) through **NEFT / RTGS*** as per the details given below and debit the amount including your charges to my/our CD / CC / OD / CC account No. maintained with branch.

DETAILS OF APPLICANT			DETAILS OF BENEFICIARY		
1. Name	PARDEEP		1. Name	MARYANA CAMPA	
2. Account No.	3411048887		2. Account No.		
3. Address	V.P.O - PIPLI		3. Account Type	1506970147639328	
4. Tel/Mobile No.	7404170550		4. Name of Bank	UNION BANK	
5. Email Id			5. Name of Branch	Bengaluru - 560027	
6. PAN	CHRPP1316A		6. IFSC Code	UBIN0996335	
For Bank's Use only					
Entered by :	(Officer's SS No.)		Pardeep (Signature of the Applicant) Applicant's Signature verified by (Officer's SS No.)		
Checked by :	(Officer's SS No.)				
Transaction Reference No. :					

* Delete whichever is not applicable

- I / We have checked the funds transfer instructions / particulars given in the application and I / We shall be liable to compensate the Bank for any loss arising on account of any error in payment order / amendment / cancellation thereto.
- I / We understand that the messages given after cut-off time will be sent only on the next batch / working day for NEFT.
- The transfer is effected for legitimate personal / business needs.
- I / We shall ensure availability of funds properly applicable to the payment order before execution of the payment order by the bank and understand that if the bank executes the transfer order without properly applicable funds being available in my account, I / We shall be bound to pay to the bank the amount debited to my account together with charges including interest payable to the bank provided the transfer was effected as per my order.
- I / We understand that in case the payee branch does not have NEFT / RTGS facility, the funds will be credited back to my / our account as and when it is returned by the beneficiary bank.
- I / We also agree to abide by the guidelines / regulations etc. issued by RBI for RTGS / NEFT and also the terms and conditions of Central Bank of India, issued from time to time on this score.

UBINR52023091610004234


Date : 16/9/23

Pardeep
(Signature of the Applicant)

us_UA.aspx?cat_id=FP%2fHR%2fApproach%2f147639%2f2021

forestsclearance.nic.in says

Mutation details has been successfully forwarded to Nodal officer for verification.





सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE
 CHANGE**
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional Office,
 Chandigarh**



F.No.:- 9-HRB107/2022-CHA



दिनांक: July, 2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
 हरियाणा सरकार,
 हरियाणा सिविल सचिवालय,
 चण्डीगढ़।
 (fcforest@hry.nic.in)

विषय: **Diversion of 0.0133 ha of forest land for access to Retail Outlet of BPCL along Kharkhoda-Delhi Road (SH-18) near Km. stone No. 36 at village Pipli under Forest Division and District Sonipat, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021)**

संदर्भ: State Government's Compliance Letter No. क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10226/825 dated 23.06.2023 received on 27.06.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.0133 हेक्टेयर वनभूमि के उपयोग के लिए **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- WP (C) No. 202/1995, IA No. 566** में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 0.0133 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।
- पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में अपलोड की जाएगी।
- प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीएलागत, एनपीवी, आदि) वेबपोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I Clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के द्वारा किया जाएगा।

- vii. वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।
- viii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।
- (B) वे शर्तें, जिनका राज्य वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-
- i. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
 - ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष/पौधे नहीं काटे जायेंगे और वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
 - iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वनभूमि Compartment No. H43W13, **Khanda Drain, Rai Range** में 100 पौधे लगाकर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
 - iv. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।
 - v. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।
 - vi. राज्य सरकार वनभूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी।
 - vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
 - viii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - ix. इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
 - x. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।
 - xi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंधुच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा।
 - xii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
 - xiii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
 - xiv. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
 - xv. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

- xvi.** अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।
- xvii.** यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xviii.** इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
- xix.** यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है।

भवदीय
हस्ता/-

(राजा राम सिंह)

Signed by

Raja Ram Singh

Date: 27-07-2023 08:44:20

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

- वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज, नई दिल्ली। (ramesh.pandey@nic.in)
- PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
- Divisional Forest Officer, Forest Division & District Sonipat, Haryana. (dfo.spt-hry@nic.in)
- BHARAT PETROLEUM CO. LTD., NEAR DOUBLE PHATAK HISAR, Haryana-125001. (sawasthikumar@gmail.com)

COMPLIANCE OF REPORT 2A/2B

Proposal Name: - Diversion of 0.0133 hac. of forest land for access to proposed site of Retail Outlet of BPCL along Kharkhoda-Delhi Road (SH-18) near KM stone no. 36 at Village – Pipli Under Forest Division & Tehsil – Kharkhoda, District – Sonipat (Haryana).
(Online Proposal No. FP/HR/Approach/147639/2021)

I Sunil Kumar Brar, Territori Manager (Retail), Hisar, applied Diversion of 0.0133 hac. of forest land for access to proposed site of Retail Outlet of BPCL along Kharkhoda-Delhi Road (SH-18) near KM stone no. 36 at Village - Pipli Under Forest Division & Tehsil - Kharkhoda, District - Sonipat (Haryana)

I do hereby solemnly affirm and declare as under: -

यहाँ राशि CA, ACA, NPV के माध्यम से Central Bank of India में जमा करवा दी गई है जिसका Ref. No.- CBINR52023091610004234 है।

1. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. प्रस्ताव के अनुसार काई भी वृक्ष /पौधे नहीं काटे जायेंगे और वनजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
3. राज्य सरकार द्वारा प्रभावित सीए योजना के अनुसार degraded वन भूमि Khanda Drain, Rai Range में 100 पौधे लगा कर पर सीए किया जायगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षरोपण किया जायेगा। यथासम्भव, स्थानीय देसी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
4. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छा अनुसार नहीं बदलेंगे।
5. नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवाएं।
6. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रति पूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

सुनील कुमार ब्रार / SUNIL BRAR
प्रदेशिक प्रबन्धक / Territory Manager
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
हिसार रिटेल टेरिटरी, हिसार
Hisar Retail Territory, HISAR

8. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा कराने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
9. इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
10. पेट्रोल पंप की पूरी परिधि (Periphery) पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अंतराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पहुँच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधरोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा।
12. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
13. स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
14. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
15. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
16. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
17. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
18. इनमे से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देशन 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।
19. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।


Sunil Kumar Brar
 Sunil Kumar Brar / SUNIL BRAR
Territory Manager (Retail), Hisar
 प्रादेशिक प्रबंधक / Territory Manager
 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 Bharat Petroleum Corporation Ltd.
 हिंसार रिटेल टेरिटरी, हिंसार
 Hisar Retail Territory, HISAR